न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/2020

प्रार्थीगण

1. शंकराराम पुत्र सोनाराम
2. रमेश कुमार पुत्र सोनाराम
3. रेवाराम पुत्र सोनाराम जाति ब्राहमण निवासी दुधवट तहसील रानीवाडा जिला जालोर
4. मृतक भीखीदेवी पत्नि सोनाराम के कायम मूकाम वारीसान
   4/1 कलुदेवी पुत्री सोनाराम पत्नि सुरेश कुमार जाति सुथार निवासी पंसेरी तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. तेजा पुत्र अचला
2. नेथी पुत्र अचला जातियान कलबी
3. मृतक वेना पुत्र अचला के कायम मूकाम वारीसान
   3/1 रमेश पुत्र वेना
   3/2 सोमा पुत्र वेना
   3/3 हकमा पुत्र वेना
   3/4 रेखा पुत्र वेना
   3/5 हीरा पुत्र वेना
   3/6 अमीया पत्नि वेना जातियान कलबी निवासीयान दुधवट
4. नेतीराम पुत्र तलछा
5. नेनू पत्नि मीश्राराम
6. प्रभू पुत्र मीश्राराम
7. भगवाना पुत्र मीश्राराम जातियान जांगीड ब्राहमण निवासीयान दुधवट तहसील रानीवाडा जिला जालोर
8. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा रानीवाडा
9. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री वीरबहादूरसिंह देवडा।
2. अप्रार्थी संख्या 4 से 7 के अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 05.08.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि[illegible]सके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा [illegible] में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 309/2 रकबा 0.28 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 310/2 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:54 IST
Reason: SelfAttested

28 हेक्टेयर जूमले रकबा 0.56 हेक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 3/6 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 310 रकबा 0.94 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 486/310 रकबा 0.79 हेक्टेयर जूमले रकबा 1.73 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.30 हेक्टेयर खसरा नम्बर 310/1 रकबा 0.85 हेक्टेयर की आई हुई है। तथा इसी माफिक अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 309/2 रकबा 0.28 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 310/2 रकबा 0.28 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 से 3/6 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 310 रकबा 0.94 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 486/310 रकबा 0.79 हेक्टेयर जूमले रकबा 1.73 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 309/1 रकबा 1.30 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 310/1 रकबा 0.85 हेक्टेयर के सीमा को लेकर विवाद हैं। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 उक्त सीमा के विवाद को कायम रखना चाहते है। इस विवाद के चलते प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की आराजी के माठ के विवाद को खत्म करने के लिये अपनी आराजी की पैमाईश हेतु तहसीलदारजी रानीवाडा को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदारजी द्वारा आदेश क्रमांक 98 दिनांक 24.12.2019 के तहत पैमाईश करने का आदेश जारी किया। उक्त आदेश की पालना में दिनांक 07.01.2020 को हल्का पटवारी पैमाईश हेतु आये तथा पैमाईश कर सीमा चिन्ह कायम करने हेतु समझाईश की परन्तु उक्त प्रार्थीगण के पडोसी खातेदारान अर्थात अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से पैमाईश करने से मनाही कर दी तथा मौका फर्द पर हस्ताक्षर भी नहीं किये। मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह कायम नहीं करने की स्थिति में मौके पर विवाद की स्थिति कायम हैं। इसलिये विवाद को खत्म करने के लिए स्थाई सीमा चिन्ह कायम किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी की सीमा को लेकर मौके पर भारी विवाद है। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 माठ का विवाद बनाकर हमारी आराजी पर कब्जा करना चाहते है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के बीच उक्त आराजीयान के सीमाज्ञान को लेकर भारी विवाद होने से उक्त आराजीयान का सीमाज्ञान करवा कर वास्तविक व स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवा कर उस स्थाई तौर पर पत्थर गड्ढी करवाया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। जिससे वास्ताविक सीमा का ज्ञान हो सके तथा मौके पर विवाद नहीं हो तथा जो भी पक्षकार उक्त सीमा चिन्ह पत्थर का उल्लघंन करने की चेष्ठा करेगा तो व कानून व न्यायालय में गुनहगार होगा।

2. उक्त सीमाज्ञान व पत्थर गड्डी करवाने आने वाले सीमाज्ञान विशेषज्ञ की टीम की विधि सम्मत भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थीगण न्यायालय के आदेशानुसार शुल्क अदा करने के लिये तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र. पेश कर निवेदन है कि मौजा दुधवट तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 309/2 रकबा 0.28 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 310/2 रकबा 0.28 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 से 3/6 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 310 रकबा 0.94 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 486/310 रकबा 0.79 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 309/1 [illegible] हेक्टेयर खसरा नम्बर 310/1 रकबा 0.85 हेक्टेयर की पैमाईश करवा कर [illegible] पत्थर गड्डी करवाने हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर न्यायालय [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 14:53:54 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 3/6 , 8 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अप्रार्थी संख्या 4 से 7 व 9 की ओर से जवाब पेश किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 4 से 7 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि इसी आराजी से संबंधित दावा श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, रानीवाडा की अदालत में दावा बाबत सुखाधिकार घोषित करने का चल रहा है। प्रार्थीगण उक्त पत्थर गड्डी के प्रार्थना पत्र की आड़ में प्रकरण में साक्ष्य एकत्रित करना चाहता हैं। प्रार्थी ने मौके की स्थिति के विपरीत कथन किया हैं, क्योकि मौका स्थिति अनुसार प्रार्थी का खसरा नम्बर 309/1 की आराजी में करीब डेढ बीघा भूमि का कब्जा किया हुआ हैं। सो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। उक्त प्रकरण में विवादीत आराजी बाबत सुखाधिकार का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन रहते पत्थर गड्डी कानूनीय रूप से नहीं करवाई जा सकती है। सो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 9 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा की ओर से जवाब पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा दूधवट पटवार हल्का मेड़ा के जमाबंदी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 91 खसरा संख्या 309/2 रकबा 0.28 हेक्टेयर व 310/2 रकबा 0.28 जूमले रकबा 0.56 हेक्टेयर शंकराराम, रमेशकुमार, रेवाराम पि. सोनाराम भीखीदेवी पत्नि सोनाराम कौम जांगीड ब्राहम्ण सा. देह खातेदार दर्ज है। प्राथीगण ने सीमा विवाद बताया है यह स्वीकार है कि तहसील हाजा के आदेश क्रमांक एलआर/98 दिनांक 24.12.2019 की पालना में पटवारी हल्का मेड़ा द्वारा दिनांक 07. 01.2020 को सीमाज्ञान करवाया गया जिसमें मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान नही हो सका। यह स्वीकार है कि खसरा संख्या 309/2 व खसरा संख्या 310/2 प्रार्थीगण की खातेदारी से लगता हुआ हैं।

6. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अधिवक्ता व भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा की बहस सूनी गई। बहस में प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 के मध्य सीमा विवाद होने से पत्थर गड्ढी करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा भी जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विवादीत आराजी का सुखाधिकार का वाद श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय रानीवाडा की अदालत में विचाराधीन है। तथा दिनांक 05. 02.2020 को मौका कमिश्नर रिपोट में अंकित मार्क आई से जे तक किसी प्रकार अवरोध उत्पन नही करें व मौके की स्थिति को यथावत रखने का स्थगन आदेश है। अतः मार्क आई से जे तक पत्थर गड्ढी नहीं की जाए। इस संबंध में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा सिविल न्यायालय रानीवाडा के प्रार्थना पत्र 1/20 व आदेर्शिका, मौका कमिश्नर रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश की जिनका अवलोकन किया गया। जिनमें सिविल न्यायालय रानीवाडा का मौका रिपोट में दर्शित मार्क आई से जे तक मौके की यथास्थिति का स्थगन आदेश दिनांक 05.02.2020 को पारीत किया गया है।

7. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अप्रार्थीगण के जवाब व संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने व अप्रार्थीगण के जवाब व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 07.01.2020 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा के जवाब में भी सीमाविवाद होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:54 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकर किया है। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी सीमाविवाद होना प्रतित होता है। उक्त विवादीत आराजी पर सिविल न्यायालय रानीवाडा का मौका कमिश्नर रिपोट दिनांक 25.01.2020 में मार्क आई से जे तक स्थगन आदेश पारीत किया हुआ है। ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय रानीवाडा के स्थगन की पालना करते हुए प्रार्थीगण के मौके पर खसरा नम्बर 309/2, 310/2, 310, 486/310, 309/1 व 310/1 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

–: आदेश :–

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा दुधवट पटवार मण्डल मेड़ा के खसरा नम्बर 309/2, 310/2, 310, 486/310, 309/1 व 310/1 रकबा कमश 0.28, 0.28, 0.94, 0.79, 1.30, 0.85 हैक्टेयर की आराजी की पर **(सिविल न्यायालय रानीवाडा के स्थगन आदेश की पालना करते हूए मौका कमिश्नर रिपोट दिनांक 25.01.2020 में दर्शित मार्क आई से जे तक की आराजी को छोड़कर)** पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:54 IST
Reason: SelfAttested